न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

राजस्व निगरानी संख्या 21 / 17 (2017 / 00143) **वर्ष 2017**

बउनवानीः—आम जनता ग्राम धमूण कलां जरियेः—

1. रामजीलाल पुत्र रामपाल गुर्जर निवासी धमूण कलां,तह0 व जिला सवाईमाधोपुर
2. रामकल्याण पुत्र रामपाल गुर्जर निवासी धमूण कलां,तह0 व जिला सवाईमाधोपुर
3. कमल पुत्र रामपाल गुर्जर निवासी धमूण कलां,तह0 व जिला सवाईमाधोपुर
4. रामरतन पुत्र गोपाल गुर्जर निवासी धमूण कलां,तह0 व जिला सवाईमाधोपुर

बनाम

1. गोविन्द पुत्र हीरालाल जाति गुर्जर निवासी धमूण कलां तह0 व जिला सवाईमाधोपुर
2. राजाराम पुत्र जगदीश जाति गुर्जर निवासी धमूण कलां तह0 व जिला सवाईमाधोपुर
3. देवलाल पुत्र कन्हैया जाति गुर्जर निवासी धमूण कलां तह0 व जिला सवाईमाधोपुर

(निगरानी प्रार्थना विरूद्व आवंटन आदेश दिनांक 24.6.1975 उप जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर जिला सवाईमाधोपुर अन्तर्गत धारा 14(4) राजस्थान कृषि भूमि आवंटन नियम 1970)

उपस्थितः—1. श्री उमाशंकर शर्मा वकील प्रार्थीगण

5. श्री गिर्राज सिंह गुर्जर वकील अप्रार्थीगण 3—5

—: निर्णय :— **दिनांक 26.6.2019**

निगरानी गुजरान द्वारा यह निगरानी प्रार्थना पत्र उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के द्वारा किये गये कृषि भूमि आवंटन आदेश दिनांक 24.6.1975 के विरूद्ध इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया है कि कथित आवंटन आदेश अवैधानिक है जिसको खारिज फरमाया जावे।

निगरानी प्रार्थना प्रस्तुत पत्र होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अदालत मातहत का मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया व विपक्षी की भी सुनवायी हेतु तलबी जरिये नोटिस की गयी।

तत्पश्चात बहस वकील प्रार्थीगण सुनी गयी।

वकील प्रार्थीगण ने दौराने बहस कथन किया कि ख0न0 623 रकबा 2 बीघा हाल ख0न0 1282 रकबा 0.51 है0 आवंटन आदेश में वर्णित भूमि सार्वजनिक उपयोग की भूमि है। अतः आवंटन निरस्त योग्य है। यह तर्क भी दिया कि आवंटन के पश्चात आज तक आवंटी का कब्जा काश्त नही रहा है अपितु मौके पर आज भी आबादी बसी हुई है तथा राजस्व रिकार्ड मे भी आबादी होना दर्शाया गया है। तहसीलदार सवाईमाधोपुर की मौका रिपोर्ट दिनांक 7.3.2017 से भी उक्त भूमि पर आबादी बसी होने की पुष्टि होती है। यह तर्क भी दिया कि आवंटी ने आवंटन के पश्चात 2 वर्ष के अन्दर अन्दर भूमि में काश्त नही कर आवंटन रूल्स की पालना नही की है तथा आवंटन से पूर्व आवंटन कमेटी द्वारा उद्घोषणा जारी नही की गयी है ना ही आवंटन योग्य व्यक्तियों की सूची बनी है तथा आवंटित भूमि पर आबादी बसी हुई है तथा आवंटन के कारण उक्त भूमि पर आबादी के पटटे नही बन रहे है इसलिए भी आवंटन निरस्त किये जाने योग्य है। यह तर्क भी दिया कि आवंटी व्यापारी तथा धनाढय व्यक्ति है तथा कोटा के निवासी होने के कारण भी आवंटन निरस्त होने योग्य है। उक्त आवंटन आदेश की जानकारी प्रार्थीगण को दिनांक 3.3.2017 को हुई है वैसे भी आवंटन निरस्त करवाने की कोई मयाद नही होती है। इसलिए भी आवंटन निरस्त किये जाने योग्य है। अतः प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) स्वीकार करने बाबत वकील निगरानीकार द्वारा निवेदन किया गया।

विद्वान वकील अप्रार्थीगण द्वारा दौराने बहस कथन किया कि आवंटी बृजमोहन पुत्र भैरूलाल महाजन निवासी धमूणकलां भूमिहीन होने के कारण दिनांक 24.6.1975 को आवंटन संलाहकार समिति की सिफारिश से ग्राम धमूण कलां के ख0न0 1034 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा एवं ख0न0 623 में से 2 बीघा कुल 4 बीघा 10 बिस्वा भूमि का आवंटन किया गया है जो आवंटन नियमों की सभी शर्तो का पालन करते हुए विधि के अनुसार किया गया है तथा आवंटित भूमि का आवंटी बृजमोहन को दिनांक 1.5.1975 को दो गवाहो के सामने कब्जा सम्भलाया गया है। आवंटित भूमि का कब्जा प्राप्त करने के बाद आवंटी का लगातार उक्त भूमि पर कब्जा काश्त

डॉ० एस.पी. सिंह
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

रहा है। आवंटी के कब्जे के आधार पर उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा दिनांक 8.9.1977 को आवंटित भूमि का पटटा भी जारी किया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त आवंटित भूमि में से ख0न0 623 हाल ख0न0 1282 रकबा 0.51 है0 को जरिये विक्रय पत्र दिनांक 16.2.2017 को आवंटी से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय की जाकर कब्जा प्राप्त किया गया है तथा क्रय दिनांक से अप्रार्थीगण का उक्त विवादित भूमि पर कब्जा काश्त व मकानात बने हुए है। यह तर्क भी दिया उक्त आवंटी को आवंटित भूमि हम अप्रार्थीगण द्वारा क्रय की जाने पर प्रार्थीगणों से विवाद होने के कारण प्रार्थीगणों के विरूद्व न्यायालय सिविल न्यायाधीश सवाईमाधोपुर में वाद पत्र एवं प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश किया जाने पर माननीय न्यायालय द्वारा मुझ अप्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 5.7.2017 को स्वीकार फरमाते हुए प्रार्थीगण को आराजी ख0न0 1282 रकबा 0.51 मे प्रार्थी के कब्जे मे कोई मजाहमत ना करने बाबत पाबंद किया गया है तथा वाद पत्र वर्तमान में माननीय न्यायालय मे जैरकार है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगणों की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) खारिज करने बाबत वकील अप्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया।

वकील उभयपक्षों द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत तर्को को सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन एवं मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुॅचता हूॅ कि वकील प्रार्थीगण द्वारा आवंटी को उक्त भूमि का आवंटन विधि विरूद्व किया जाना तथा आवंटित भूमि पर आवंटन से अब तक काश्त नही करने बाबत किये गये कथन के समर्थन में प्रस्तुत गिरदावरी सम्वत् 2052–59 मे चना व चरी की फसल काश्त दर्ज होने से कथन की पुष्टि नही होती है। इसके अतिरिक्त वकील प्रार्थी ने ऐसा कोई साक्ष्य दस्तावेज पेश नही किया गया जिसके आधार उसके द्वारा किये गये कथन की पृष्टि हो सके। इसके विपरीत आवंटन मिसल का अवलोकन एवं वकील अप्रार्थीगण द्वारा किये गये कथन कि आवंटी बृजमोहन पुत्र भैरूलाल महाजन निवासी धमूणकलां भूमिहीन होने के कारण दिनांक 24.6.1975 को आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश से ग्राम धमूण कलां के ख0न0 1034 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा एवं ख0न0 623 में से 2 बीघा कुल 4 बीघा 10 बिस्वा भूमि का आवंटन नियमों की सभी शर्तो का पालन करते हुए आवंटन किया गया है तथा आवंटित भूमि पर दिनांक 1.5.1975 को दो गवाहों के सामने आवंटी को कब्जा सम्भलाया गया है तथा आवंटी के कब्जे के आधार पर उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा दिनांक 8.9.1977 को उक्त भूमि का पटटा भी जारी किया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय की मूल आवंटन मिसल के अनुसार बृजमोहन के पक्ष मे किया गया उक्त आवंटन मिथ्या कथन छलपूर्वक (Fraud or Misrepresentation) कराये गये आवंटन की श्रेणी मे नही आता है जबकि इतने वर्ष पश्चात केवल मिथ्या कथन छलपूर्वक (Fraud or Misrepresentation) कराये गये आवंटन को ही खारिज किया जा सकता है। आवंटित भूमि का आवंटी व उसके पश्चात अप्रार्थीगण जो कि क्रेता है को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाने के कारण भी आवंटन निरस्त नही किया जा सकता है। यह भी उल्लेखनीय है कि निगरानी प्रार्थना पत्र से संबंधित आराजीयात को लेकर पक्षकारान के मध्य सिविल न्यायालय सवाईमाधोपुर में प्रकरण जैरकार है जिसमे पक्षकारान का हित तय होना है। ऐसी स्थिति में न्याय के परिप्रेक्ष्य में आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटी बृजमोहन के पक्ष किये गये आवंटन आदेश दिनांक 24.6.1975 मे किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नही है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर वकील प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 14(4) खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 26.6.2019 को लिखवाया जाकर सुनाया गया ।

(डॉ0एस0पी0सिंह)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Satya Pal Singh
Date: 2019.12.03 16:25:06 IST
Reason: SelfAttested
Location: